

न्यूज़ दुड़े

व्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF 2.0) और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारम्भ किया गया

- CSCAF, वर्ष 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रारंभ किया गया जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर अपनी तरह का प्रथम मूल्यांकन ढांचा है।
- इसका उद्देश्य शहरों में निवेश सहित अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के दौरान उत्पन्न होने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों को एक स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है।
 - यह शहरी नियोजन और विकास हेतु एक जलवायु-संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है।
- फ्रेमवर्क के तहत पाँच श्रेणियों में 28 संकेतकों को शामिल किया गया है यथा: ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, हरित आवरण व जैव विविधता, गतिशीलता एवं वायु गुणवत्ता, जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
- “नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स” के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र (Climate Centre for Cities), CSCAF के कार्यान्वयन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का सहयोग कर रहा है।
- **स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज:**
- यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, अभिनव और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से पद यात्रियों के लिए अनुकूल और बेहतर गतियों का निर्माण करना है।
- इस चैलेंज के तहत प्रत्येक शहर को कम से कम एक “फ्लैगशिप वॉर्किंग प्रोजेक्ट” का परीक्षण करने और पड़ोस के एक क्षेत्र को निवास योग्य बनाना आवश्यक होता है।
 - पदयात्रियों की अधिक आवाजाही (फूटफॉल जॉन) वाली गतियों को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त स्थान माना जा सकता है।
- इस चैलेंज को समर्थन प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत “फिट इंडिया मिशन” एवं “इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी” (Institute for Transportation and Development Policy) द्वारा SCM के साथ साझेदारी की जा रही है।

CSCAF 2.0

- बेहतर संकेतकों तथा शहरों और विषय-विशेषज्ञों से फीडबैक पर आधारित।
- सरल समझ हेतु सरलीकृत।
- स्वच्छ सर्वेक्षण और जीवनयापन सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) के साथ सामंजस्य।
- डेटा संग्रहण में सहायता करने के लिए मानक साक्ष्य टेम्पलेट्स और डेटा इनपुट टेम्पलेट्स।
- डेटा प्रतिष्ठि और रियल टाइम अपडेट हेतु डैशबोर्ड युक्त केंद्रीकृत पोर्टल।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों से रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कानून के प्रवर्तन एवं अनुपालन का आव्वान किया गया है

- अवैध खनन से राज्य को राजस्व की हानि होती है तथा इससे पर्यावरण का हास भी होता है।
- मंत्री ने नदी तल से प्राकृतिक संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए संघारणीय रेत खनन के अनुपालन की भी अपील की है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) (MMDR Act) के तहत रेत एक सूक्ष्म खनिज है, इसलिए यह राज्य सरकार के विनियमों के अधीन है।
 - MMDR अधिनियम राज्य सरकारों के खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- संघारणीय रेत खनन की आवश्यकता
 - नदी के संतुलन और उसके प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करना।
 - यह सुनिश्चित करना कि नदी के प्रवाह, जल परिवहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
 - नदी दरारों (fissures) पर रेत खनन को रोककर भूजल प्रदूषण को रोकना।
- संघारणीय खनन को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयास:
 - रेत खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए रेत खनन रूपरेखा (2018) [Sand mining framework (2018)] तथा रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशा—निर्देश (2020) [Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining (2020)] को लागू किया गया है।
 - प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना को जिला खनिज संस्थानों (District Mineral Foundations) के तहत एकत्र की गई धनराशि की सहायता से लागू किया गया है तथा इसका खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।
 - खनन निगरानी प्रणाली निर्मित की गई है।
 - रेत के विकल्पों का विकास किया गया है।

भारत और चीन द्वारा हालिया सीमा विवाद के समाधान के लिए 5—सूत्रीय योजना पर सहमति प्रदान की गई है:


- दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में “शंघाई सहयोग संगठन” के सम्मेलन के दौरान पृथक रूप से बैठक की और यह स्वीकार किया कि मौजूदा गतिरोध “दोनों पक्षों के हित में नहीं” है।
- दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) (जहाँ भारतीय और चीनी सेनाएं साथे चार माह से एक—दूसरे के आमने—सामने हैं) पर संघर्ष को टालने तथा तनाव को कम करने के लिए एक पाँच—सूत्रीय योजना पर सहमत हुए हैं।
- वे 5 बिंदु हैं:
 - परस्पर सहमति का पालन करें: मतभेदों को विवाद न बनने देने सहित भारत—चीन संबंधों को विकसित करने हेतु दोनों देशों के नेताओं की सहमति को आधार मानकर मार्गदर्शन स्वीकार करें।
 - विमर्श करें और पीछे हटें (टॉक एंड स्टेप बैक): सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, संघर्ष को टालना चाहिए, एक—दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और आपसी तनाव को कम करना चाहिए।
 - समझौतों का सम्मान करें: चीन—भारत सीमा मामलों पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल्स का पालन करें तथा ऐसी कार्रवाही से बचें, जो विवाद को बढ़ा सकती है।
 - विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद तंत्र का उपयोग करें तथा सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की बैठकें आयोजित करें।
 - विश्वास निर्माण: शांति और धैर्य बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए विश्वास—निर्माण के नए उपाय खोजने का त्वरित प्रयास करें।
 - हालांकि, दोनों पक्षों ने इस प्रक्रिया के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति की बहाली का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

संपूर्ण विश्व में टीके (वैक्सीन) के संदर्भ में अनिश्चय की स्थिति में वृद्धि हो रही है

- विष्यात पत्रिका (जर्नल) “लैंसेट” में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 और 2019 के मध्य कई देशों में टीके के संदर्भ में अनिश्चय (Vaccine hesitancy) की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है।
- टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीके को स्वीकार करने में विलंब या टीकाकरण को अस्वीकार करना ही वैक्सीन हेजिटेंसी (अर्थात टीके के संदर्भ में अनिश्चय) को दर्शाता है।
 - यह जटिल और संदर्भ विशिष्ट है, जो समय, स्थान और टीकों के अनुसार भिन्न होती है।
 - यह जटिल और संदर्भ विशिष्ट है, जो समय, स्थान और टीकों के अनुसार भिन्न होती है।
 - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन हेजिटेंसी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के समक्ष शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में घोषित किया था।
- यह व्यक्तिगत और सामूहिक (विगत टीकाकरण, स्वास्थ्य प्रणाली और प्रदाताओं के प्रति विश्वास से संबद्ध अनुभव), प्रसंगगत प्रभाव (संचार और मीडिया, धर्म/संस्कृति/लिंग/सामाजिक—आर्थिक) और कोई टीका—विशिष्ट मुद्दे (जोखिम/लाभ, प्रशासन का तरीका आदि) के कारण हो सकता है।
- महत्वपूर्ण निष्कर्ष:
 - मिथ्या सूचना या अनुचित वैज्ञानिक सूचना का संचार मुख्य कारक है, जिसके कारण टीके के प्रति व्यवहार प्रभावित हुआ है।
 - वर्धित वैक्सीन हेजिटेंसी, उन रोगों के पुनः प्रभावी होने का कारण बन गई है, जिनके विषय में यह विचार किया गया था कि वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
 - वर्ष 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में खसरे (measles) के 1,200 मामले सूचित हुए थे, जो वर्ष 1992 के उपरांत से देश में सर्वाधिक थे।
 - टीकों की प्रभावशीलता पर, भारत सर्वोच्च स्थान पर रहा है।
 - सुझाव: सक्रिय वैक्सीन सुरक्षा निगरानी में वैश्विक निवेश, सार्वजनिक धारणाओं की निरंतर निगरानी तथा तीव्र और लोचशील संचार रणनीतियों का विकास किया जाना चाहिए।

उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा राज्यों की स्टार्ट-अप रेंकिंग 2019 जारी की गई

- इसका उद्देश्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना तथा स्टार्ट-अप पारितंत्र के उन्नयन हेतु उन्हें प्रेरित करना है।
- यह सभी राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के माध्यम से उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित करेगा तथा नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भी सहायता प्रदान करेगा।
- > भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र वाला देश है।
 - ❖ स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत 36,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स की पहचान की गई है।
 - > 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्टार्ट-अप नीति को लागू किया गया है।
- रेंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार योग्य क्षेत्र तथा 30 कार्य बिंदुओं (Action points) को शामिल किया गया है, जिसके तहत संस्थागत समर्थन, सरल अनुपालन, इनक्यूबेशन समर्थन, बीज अनुदान सहायता आदि सम्मिलित हैं।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को श्रेणी 'X' और श्रेणी 'Y' में विभाजित किया गया है।
 - > इस प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया था।
- प्रत्येक श्रेणी में उन्हें 5 शीर्षकों के अंतर्गत रेंकिंग प्रदान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)
- आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप्स से नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवीन उत्पादों का सृजन करने तथा प्रक्रियाओं को पुनःअभिकलित (redesign) एवं पुनर्संरचित (re-engineer) करने का सुझाव दिया है, ताकि विनियामक और वर्षे पुरानी प्रथाओं में सुधार किया जा सके। साथ ही, उन्हें जन-केंद्रित विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा है।
- स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय: स्टार्टअप इंडिया योजना, एस्पायर (ASPIRE) योजना, स्टार्टअप्स के लिए फंड्स आदि।



अन्य सुखियाँ

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के सेरो सर्वे के परिणाम घोषित किए गए हैं (Indian Council of Medical Research (ICMR) Sero Survey results declared)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसे शरीर में सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 21 राज्यों में 11 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया था। ○ मुख्य निष्कर्ष: <ul style="list-style-type: none"> > इस सर्वे के अनुसार 0.73% वयस्क कोरोनोवायरस के प्रति सुमेह्य थे, अर्थात् यह प्रतिशत 6.4 मिलियन लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। > सेरोपॉजिटिविटी (आयोजित प्रत्येक परीक्षण के दौरान संक्रमित मामलों की संमावना) 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक रही है, जबकि 60 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे कम (17.2%) रही है। ○ एक सेरो-सर्वेक्षण के तहत जिला स्तर पर नवीन कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए व्यक्तियों के समूह के रूप से सीरम का परीक्षण किया जाता है।
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Global Economic Freedom Index)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इसे सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी किया जाता है। ○ यह देशों की नीतियों और उनके संस्थानों का विश्लेषण करके, उन देशों में उनके नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक निर्णयन की क्षमता का मापन करता है। <ul style="list-style-type: none"> > ऐसे मापन मुख्यतः विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, सरकार के आकार, संपत्ति के अधिकार, सरकारी व्यय और कराधान जैसे संकेतकों के पर्यवेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। ○ इस सूचकांक में 162 देशों के मध्य भारत का स्थान 105वां (वर्ष 2018 में 79वां) रहा है। सूचकांक में शीर्ष पर हांगकांग है तथा उसके पश्चात सिङ्गापुर का स्थान है।
दिवाला पेशेवर एजेंसियाँ (Insolvency professional agencies: IPA)	<ul style="list-style-type: none"> ○ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI) द्वारा दिवाला पेशेवर एजेंसियों (IPA) के शासी बोर्ड के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> > IBBI एक सांविधिक निकाय है, जिसे दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, सूचना प्रतिष्ठानों इत्यादि के संबंध में विनियामक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ○ IPAs दिवाला पेशेवरों के आचरण और प्रदर्शन की निगरानी करती हैं तथा उन सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करती हैं, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। ○ IPAs और IBBI को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के तहत प्रस्तावित किया गया था।
इकोलॉजिकल थेट रजिस्टर 2020 (Ecological threat register (ETR) 2020)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ETR का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है। ○ ETR उन पारिस्थितिकीय खतरों का मापन करता है, जिनका वर्तमान में देशों द्वारा सामना किया जा रहा है। साथ ही, यह पारिस्थितिकीय खतरों के संबंध में वर्ष 2050 तक के अनुमान भी प्रदान करता है। <ul style="list-style-type: none"> > इसके तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जहां इन खतरों का सामना करने हेतु पारिस्थितिकीय लोचशीलता के पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होने की संभावना नहीं है। ○ ETR द्वारा पारिस्थितिक हॉटपॉट्स के तीन समूहों की पहचान की गई है, जिनके विलुप्त होने की संभावना अत्यधिक है: <ul style="list-style-type: none"> > अफ्रीका की साहेल-हॉर्न बेल्ट- मॉरिटानिया से सोमालिया तक; > दक्षिणी अफ्रीकी बेल्ट- अंगोला से मेडागास्कर तक तथा > मध्य पूर्व और मध्य एशियाई बेल्ट- सीरिया से पाकिस्तान तक।
जम्मू और कश्मीर द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारम्भ किया गया (J&K launches grievance redressal portal)	<ul style="list-style-type: none"> ○ जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Jammu and Kashmir Integrated Grievance Redress and Monitoring System: JK-IGRAMS) को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया है। ○ इसके साथ ही, जम्मू और कश्मीर, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS) से संबद्ध होने वाला प्रथम संघ शासित प्रदेश बन गया है। <ul style="list-style-type: none"> > CPGRAMS प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms & Public Grievances) के अंतर्गत संचालित एक वेब-आधारित शिकायत समाधान पोर्टल है।
भारत क्राफ्ट पोर्टल (Bharat Craft portal)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा निर्भावित उत्पादों के विपणन के लिए MSMEs द्वारा विवित वर्ष, योजनाबद्ध किया गया एक ई-कॉमर्स पोर्टल है। ○ हालाँकि, व्यवसाय योजना के अभाव, प्रौद्योगिकी साझेदार की अनुपलब्धता और धन की कमी के कारण इसे अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

